UD2-6/A/5/2022-IV-2-Urban Development Department

संख्याः 298546/IV(2)–श0वि0–2025/57(मु0मं0घो0)21 (22539)

प्रेषक,

गौरव कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक–19, मई, 2025

शहरी विकास अनुभाग–2

विषयः 'मिसिंग लिंक फंडिंग' के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोाणा–694/2021, "विधानसभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, जसपुर के मुख्यालय हेतु नये भवन का निर्माण किया जायेगा' हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 110061/IV(2)–श0वि0–2023–57(मु0मं0घो0)21, दिनांक 26.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **'मिसिंग लिंक फंडिंग'** के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा–**694/2021, "विधानसभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, जसपुर के मुख्यालय हेतु नये भवन का निर्माण किया जायेगा'** हेतु संस्तुत रू0 151.05 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रू0 91.11 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जसपुर के पत्रांक–208/ मु0मं0घ ो0/द्वि0कि0/2024–25/2025, दिनांक 06.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु **'मिसिंग लिंक फंडिंग'** के अन्तर्गत संस्तुत धनराशि रू0 151.05 लाख के सापेक्ष अवमुक्त रू0 59.94 लाख लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि **रू0 59.94 लाख (रूपये उन्सठ लाख चौरानवे हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित नगरपालिका परिषद, जसपुर को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी (जिस स्तर से आगणन स्वीकृत की गई है) की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय ।

(3) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(4) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2017 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(6) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों/कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद/कार्य में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के संख्याः 287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण कर, तद्नुसार कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था का तथा द्वितीय उत्तरदायित्व शहरी विकास निदेशालय का होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–07, लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–17–महत्वपूर्ण स्थापना कार्य–00–53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग (अनु0–1) के अशासकीय संख्याः 296904, दिनांक 13.05.2025 में प्राप्त सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 संख्याः S25050070003 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Gaurav Kumar
Date: 16-05-2025
18:28:08

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जसपुर।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 16-05-2025
16:21:31

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन आई डी-S25050070003
आवंटन पत्र दिनांक-05-MAY-2025

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

80-सामान्य

लेखा शीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
800-अन्य भवन

17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य (Missing Link)

Voted

00--

4	0	5	9	8	0	8	0	0	1	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	5994000	0	5994000
योग	0	5994000	0	5994000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.59,94,000 (Rupees Fifty Nine Lacs Ninety Four Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Digitally signed by
Amita Joshi
Date: 13-05-2025
11:07:54